न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस

मुकदमा नं0 59/2025

1. फुलचन्द धासल पुत्र गोपाल जाति जाट निवास हिंगोनिया, तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0
2. चुन्नी देवी पत्नि गोपाल जाति जाट निवासी हिंगोनिया, तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0
3. सुमन पुत्री गोपाल जाति जाट नि0 हिंगोनिया, तह0 जोबनेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गुल्लीदेवी पत्नि काना जाति जाट नि0 हिंगोनिया, तह0 जोबनेर जिला जयपुर।
2. पप्पुराम पुत्र काना जाति जाट नि0 हिंगोनिया, तह0 जोबनेर जिला जयपुर।
3. प्रभु पुत्र काना जाति जाट नि0 हिंगोनिया, तह0 जोबनेर जिला जयपुर।
4. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0
5. उप पंजियक जोबनेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री लक्ष्मीकांत दाधीच वकील प्रार्थीया

2. श्री हनुमान जाखड वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :– 25/06/2025

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नं. 633/469 रकबा 24.5819 है0 बारानी 2, वाकै ग्राम हिंगोनिया पटवार हल्का हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है। जिसमे वादी खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी वादी सं01 को 437/134400 हिस्सा है, वादी सं02 को 437/134400 हिस्सा है। व वादी सं03 को 437/134400 हिस्सा है जिसका उपयोग उपभोग करते आ रहा है व काबिज काश्त है तथा प्रतिवादी सं01 का 7429/134400 हिस्सा है, प्रतिवादी सं02 का 1/32 हिस्सा है व प्रतिवादी सं03 का 1/32 हिस्सा है।

आराजी अविभाजित आराजी है जिसका विधि अनुसार विभाजन नही हो रखा है। तथा वादीगण अपने हिस्से शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करते आ रहा है जिसका प्रतिवादीगण मन चाही जगह पर कब्जा कर बिना विभाजन पुख्ता

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

निर्माण कर बेचान करने पर उतारू है तथा वादीगण को उनके हिस्से से वंचित करना चाहते है तथा कृषि भूमि मर बिना किसी अधिकार के विधि के विरूद्व जाकर पुख्ता निर्माण करने पर उतारू है तथा मौके पर निर्माण सामग्री डालना चालु कर दिया है तथा प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण को उसके परिवार को नाजायज परेशान करते है तथा मौके पर जबरन पुख्ता निर्माण करके कब्जा करने पर उतारू है जबकि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी से किसी प्रकार का कोई कानुन निर्माण नही कर सकते है।

विवादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण दिनांक 8/5/2025 को वादीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा नं0 2 मे वर्णित भूमि पर नाजायज कब्जा करने के आशय से भाडे के 10–15 आदमियो के साथ आये तथा वादी की खातेदारी की भूमि पर नाजायज कब्जा करने व वादग्रस्त आराजी के मौके पर पुख्ता निर्माण करने की धमकी दी तथा कहा की हम तुम्हारी जमीन पर कब्जा करेगे ओर हमारी राजनैतिक पहुच है। वादीगण अपनी सम्पति की रक्षार्थ व हितार्थ यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

वाद कारण विरूद्व प्रतिवादीगण दिनांक 8/5/2025 को प्रतिवादीगण व अन्य भाडे के आदमियो द्वारा वादीगण की जमीन पर नाजायज कब्जा करने व मौके पर पुख्ता निर्माण करने की धमकी देने से वाके ग्राम हिंगोनिया पटवार हल्का हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर में पैदा हुआ है इसलिए दौराने वाद अप्रार्थीगण का जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी व उसके परिवार की खातेदारी की भूमि से बेदखल करने की चेष्टा करेगे तथा वादी की भूमि पर अवैध कब्जा करके पुख्ता निर्माण कर लेगे बेचान कर देगे जिससे प्रार्थी को सख्त हकतलफी होगी व अपूर्तिय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को दौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि आराजी खसरा नं. 633/469 रकबा 24.5819 है0 बारानी 2, वाकै ग्राम हिंगोनिया पटवार हल्का हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के हिस्से मे कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे मजाहमत पैदा नही करे और न ही मौके से बेदखल करे न ही अन्य से करावे और कोई पुख्ता निर्माण नही करे निर्माझा सामग्री नही डाले तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा बेचान नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। प्रार्थी संख्या 1 लगा0 3 मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

लगा0 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि उक्त आराजीयात मे 37 खातेदार है प्रार्थीगण ने मात्र 3 खातेदारो के खिलाफ यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त आराजीयात का सभी खातेदारो ने आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की आराजीयात पर पुख्ता मकान बना रखा है एवं अन्य सहखातेदारो ने भी अपने अपने हिस्से की आराजीयात पर पुख्ता मकान बना रखे है। अप्रार्थीगण के द्वारा अपने हिस्से कि आराजीयात पर मकान का निर्माण किया जा रहा है प्रार्थीगण के हिस्से कि आराजीयात पर अप्रार्थीगण के द्वारा कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है। प्रार्थीगण ने भी विना विभाजन के अपने हिस्से की जमीन पर पुख्ता आवासीय मकान का निर्माण कर रखा है। दिनांक 08.05.2025 का वाकया भी गलत बताया गया है। प्रार्थीगण के हिस्से कि जमीन पर किसी के द्वारा कोई कब्जा नहीं किया जा रहा है। प्रार्थीगण को कोई धमकी नही दी गयी है प्रार्थीगण के द्वारा वाद कारण गलत दर्शाया गया है। प्रार्थीगण ने झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थी को कोई हकतलफी व अपूर्तिय क्षति नही हो रही है। प्राईमाफेसी केस व बेलेन्सऑफ कन्विनियंस प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। आराजी खसरा नं0 633/469 वाकै ग्राम हिंगोनिया मे कुल 37 खातेदार है उनके खिलाफ कोई वाद पेश नहीं किया है यदि सहखातेदार निर्माण करे तो प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है मात्र तीन खातेदारो को नजायज परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान सुनी गयी। बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

01 **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमावंदी संवत् 2075–78 विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सम्मिलित खातेदारी की आराजी है। जिसमें प्रार्थीगण अपने हिस्से पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु रिकॉर्ड पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य कोई भी विभाजन नहीं हुआ है। विभाजन के अभाव में उभय पक्ष के द्वारा आराजी के विशिष्ट हिस्से पर अपना–अपना हक जताया जा रहा है। विभाजन से पूर्व आराजी के प्रत्येक इंच पर सभी पक्षकारान का हक है। उभय पक्ष के हित का निर्धारण भविष्य में मूल दावा में तनकी एवं साक्ष्य के आधार पर होगा। अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की आराजीयात पर पुख्ता मकान बना रखा है एवं अन्य सहखातेदारो ने भी अपने अपने हिस्से की आराजीयात पर पुख्ता मकान बना रखे है। अप्रार्थीगण के द्वारा अपने हिस्से कि आराजीयात पर मकान का निर्माण किया जा रहा है प्रार्थीगण के हिस्से कि

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

आराजीयात पर अप्रार्थीगण के द्वारा कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है। परन्तु इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य अथवा बंटवारे का कोई प्रमाण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। अगर अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर परिवर्तन कर दिया जावेगा। जिससे वाद बहुलता बढेगी। इसलिए प्रार्थीगण के हितों की रक्षा एवं वाद बहुलता कम करने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण में निहित है।

02 सुविधा सन्तुलन :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सम्मलित खातेदारी की आराजी है। जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने हिस्से पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु रिकॉर्ड पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य कोई भी विभाजन नहीं हुआ है। अगर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो असुविधा भी प्रार्थीगण को अधिक होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण में निहीत है।

03 अपूरणीय क्षति :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण में निहित है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर परिवर्तन कर दिया जावेगा तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी। जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही होगा।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 3 को ताफैसला मुकदमा पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 633/469 रकबा 24.5819 है0 वाकै ग्राम हिंगोनिया तह0 जोबनेर में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में मजाहमत नहीं करें, बिना विधिवत विभाजन कराएं निर्माण नहीं करे तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 25/06/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट ★ जोबनेर, जिला–जयपुर ★

देवेन्द्र सिंह चौहान
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर